न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर अपील – 1790 – II – 16

दिनांक 3.3.2016 को श्री दिवाकर दीक्षित अभि० द्वारा प्रस्तुत।
3.3.2016
SO
दिवाकर दीक्षित
3.3.16

मोहनसिंह पुत्र श्री देवकीनन्दन, निवासी ग्राम नेगुवा, तहसील नौगॉव, जिला छतरपुर (म0प्र0)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

.... प्रत्यर्शी

न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 845/अ–19/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 01.10.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अपीलार्थी ने भूमि खसरा नं.900/2 रकवा 0.405 हैक्टेयर, स्थित ग्राम नेगुवा को मध्य प्रदेश शासन की भूमि खसरा नं.1488/1 एवं 1507 रकवा क्रमशः 0.251 एवं 0.401 से अदला–बदली आवेदन पत्र पेश किया था। अपीलार्थी की भूमि बंजर, ऊंबड़–खाबड़ एवं पथरीली है, जिस कारण वह मध्य प्रदेश शासन की भूमि से बदलना चाहता है।
2. यहकि, उक्त आवेदन पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर, जॉच हेतु तहसीलदार नौगॉव को भेजा गया, जिस पर इश्तहार जारी किया गया एवं ग्रामवासियों की आपत्तियॉ आमंत्रित की गयीं। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी तथा दिनांक 29.06.2007 को पटवारी हल्का नं.24 द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिया गया कि दोनों भूमियॉ समतल हैं। तालाब, इमारती वृक्ष, सार्वजनिक स्थल निरस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है। आवेदित भूमि पर आवेदक का कब्जा है तथा आवेदित भूमि समान रकवा तथा सामान कीमत की है। उक्त भूमि से बदला– बदली में शासन का कोई हित, निहित नहीं होता तथा ग्राम पंचायत नेगुवा के प्रस्ताव क्रमांक 7 में कोई आपत्ति नहीं है। उप–पंजीयक नौगॉव का गाईड अनुसार अपीलार्थी की भूमि कीमत शासकीय भूमि से अधिक है किन्तु कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र विधिवत विचार किये बिना ही आदेश दिनांक 23.10.2007 से आवेदन पत्र निरस्त कर दिया कि अपीलार्थी की भूमि खसरा नं.900/2 उनकी अन्य भूमियों से काफी दूर है वह शासकीय भूमि से अपनी भूमि बदलना चाहता है तथा उक्त शासकीय भूमि के पास अपीलार्थी की और भी कृषि भूमि का एक चक बनाना चाहता है। जॉच प्रतिवेदन भी उसके पक्ष में है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 790 –दो/2016 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15-3-16	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 845/अ–19/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 01.10.2013 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत् पेश की गयी है। 2– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत भूमि विनियम किये जाने बावत प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नं.900/2, रकवा 0.405 हैक्टेयर स्थित ग्राम नेगुवा की भूमि मध्य प्रदेश शासन की शासकीय भूमि खसरा नं.1488/1 एवं 1507 रकवा क्रमशः 0.251 एवं 0.401 को अदला–बदली किये जाने हेतु किया था, जिसके आधार पर विधिवत जॉच की गयी थी एवं दोनों भूमियों को रकवा तथा कीमतें समान होने के आधार पर विनियम की अनुशंसा तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गयी थी, किन्तु इसके बावजूद कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा भूमि के विनियम किये जाने बावत् आवेदन पत्र को आदेश दिनांक 23.10. 2007 से निरस्त कर दिया गया था, तत्पश्चात्	

R 790 II/16

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को प्रस्तुत की गयी थी, जो प्रकरण के तथ्यों पर विधिवत विचार किये बिना ही आदेश दिनांक 01.10.2013 से निरस्त कर दी गयी। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश पत्रिकाओं एवं अपीलार्थी अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि भूमि खसरा नं.900/2 रकवा 0.405 हैक्टेयर स्थिति ग्राम नेगुवा की भूमि को शासकीय भूमि खसरा नं. 1488/1 एवं 1507 रकवा क्रमशः 0.251 एवं 0.401 हैक्टेयर भूमि से अदला–बदली किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर पटवारी द्वारा जॉच की जाकर अपना जॉच प्रतिवेदन तहसीलदार नौगॉव को प्रस्तुत किया गया था। जिसके पश्चात् तहसीलदार नौगॉव द्वारा अपना अनुशंसा प्रतिवेदन दिनांक 04.08.2007 अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव के माध्यम से कलेक्टर, जिला छतरपुर को प्रेषित किया था। उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि एवं शासकीय भूमि की कीमते एक समान है, जिससे विनियम उभयपक्षों को अलाभकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विनिमय सम्पादित किया जाकर तद्नुसार तहसीलदार राजस्व अभिलेखो में संशोधन करें।

उभय पक्ष सूचित हो।

सदस्य